



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 892]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2016/पौष 8, 1938

No. 892]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2016/PAUSA 8, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

**सा.का.नि. 1181(अ).**—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु केंद्रीय सरकार प्रस्ताव करती है, जिसे इस अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, इसे ध्यान में रखा जाएगा।

2. उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, जो किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व विचार किया जाएगा।

3. यदि इस प्रारूप नियम की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव हो, उसे उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली भेजा जाएगा।

### प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,-

(क) नियम 124 के उपनियम (2) में, शब्द “या केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे” के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“या भारतीय रबर निर्माता अनुसंधान संघ, थाणे (केवल टायर एवं रबर के घटकों के मामलों में) से”;

(ख) नियम 126 में,—

(i) शब्द और कोष्ठकों “या संयुक्त हार्वेस्टर का परीक्षण करने के लिए उत्तर क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान, हिसार” के बाद शब्द “या वैश्विक आटोमोटिव अनुसंधान केंद्र, चेन्नई से” अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा :—

“या वैश्विक आटोमोटिव अनुसंधान केंद्र, चेन्नई से”;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और भी कि बस बाड़ी और ट्रक बाड़ी के मूलरूप परीक्षण और प्रकार अनुमोदन हेतु ऐसे इंजीनियरिंग कालेजों या राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा विधिवत मंजूरी के साथ भेजा जा सकेगा।”।

[सं. आरटी-11035/06/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. ....(अ), तारीख.....द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2016

**G.S.R. 1181(E).**—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. The objections or suggestions, if any, to these draft rules be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi, within the period, specified above.

### DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,-

(a) in rule 124, in sub-rule (2), for the words “or Central Institute of Road Transport, Pune”, the following shall be substituted, namely:—

“or from the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane (in the case of tyres and rubber components only)”;

(b) in rule 126,—

- (i) after the words and brackets “or the Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hisar (for testing of combine harvester)”, the following shall be inserted, namely:—  
“or from Global Automobile Research Centre, Chennai”;
- (ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—  
“Provided also that prototype of bus bodies and truck bodies may be submitted for testing and type approval to such engineering colleges or the State Road Transport Undertakings duly approved by the State Government.”.

[No. RT-11035/06/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. \_\_\_\_\_(E), dated the \_\_\_\_\_.